

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/916 /

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

श्री मुकेश कुमार ज्योतिषी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को न्यायिक शाखा के किमीनल अपील अनुभाग में कार्यरत रहते हुए प्रकरण किमिनल अपील क्रमांक 8455/2018 में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 26.11.2018 के पालन में प्रकरण में डिफॉल्ट न हटाते हुये प्रकरण को पुनः दिनांक 12.12.2018 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करने एवं इस संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप चेतावनी (Non recordable) दी जाती है, कि भविष्य में प्रकरणों के अपडेशन के प्रति सजग रहें। इस प्रकार की त्रुटि करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

(अरविन्द कुमार शुक्ला)
For रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/917 /

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्याइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक.....उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना/सेवापुरित्तका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. प्रिसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्री मुकेश कुमार ज्योतिषी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।

(दीपेश तिवारी)
रजिस्ट्रार (न्यायिक-दो)
For

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/918 /

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

1. श्रीमती संगीता दास, सहायक ग्रेड-एक,
2. श्रीमती ममता शर्मा, सहायक ग्रेड-दो,

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को न्यायिक शाखा के एम.सी.आर.सी. अनुभाग में कार्यरत रहते हुए प्रकरण एम.सी.आर.सी. क्रमांक 3523/2017 में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.2018 के पालन में प्रकरण को दिनांक 26.11.2018 को अन्य बैच के समक्ष सुनवाई हेतु सूचीबद्ध एवं अपडेशन न करने की त्रुटि करने एवं इस संबंध में आपके हाथ प्रस्तुत स्पष्टीकरण अस्तोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप चेतावनी (Non recordable) दी जाती है, कि भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति अत्यधिक सजग रहें। त्रुटि की पुनरावृत्ति करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
Par

पृष्ठांकन क्रमांक C/919 /

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक.....उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना/सेवापुरितका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. प्रिसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी संघिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्रीमती संगीता दास, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
8. श्रीमती ममता शर्मा, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेप्ति ।


(दीपेश तिवारी)
रजिस्ट्रार (न्यायिक-दो)
Par

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/920 /

जबलपुर, दिनांक २१/०२/२०१९

श्रीमती सिमता दवंडे, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को न्यायिक शाखा के एम.सी.आर.सी. अनुभाग में कार्यरत रहते हुए प्रकरण एम.सी.आर.सी क्रमांक 16712/2017 में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2018 के पालन में प्रकरण में डिफॉल्ट न हटाते हुये एवं निर्धारित समयावधि अर्थात् तीन दिवस पश्चात् सुनवाई हेतु सूचीबद्ध न कर लगभग एक माह पश्चात् सूचीबद्ध करने एवं इस संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप चेतावनी (Non recordable) दी जाती है, कि भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें। इस प्रकार की बुटि करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा।

१९२१
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल
Par

पृष्ठांकन क्रमांक C/921 /

जबलपुर, दिनांक २१/०२/२०१९

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक १ एवं २, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार न्यायिक.....उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना/सेवापुस्तिका उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. श्रीमती सिमता दवंडे, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।

१९२१
(दीपेश तिवारी)
रजिस्ट्रार (न्यायिक-दो)
Par

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/922/

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

श्री बाबूलाल कुशवाहा, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को चेकर अनुभाग में कायरत रहते हुये कार्यालय अभिभाषक संघ बुधनी सीहोर का पत्र दिनांक 24.10.2018 जो कि अत्यंत आवश्यक प्रकरण था, दिनांक 22.10.2018 को प्राप्त कर अपने आधिपत्य में दिनांक 05.12.2018 तक बिना कार्यवाही रखने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक सी/555, जबलपुर दिनांक 28.01.2019 के संबंध में प्रस्तुत जवाब दिनांक 01.02.2019 में त्रुटि स्वीकार करने के फलस्वरूप आपको उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(एक) के अंतर्गत लघुशास्ति "परिनिंदा" (Censure) के दंड से दंडित किया जाता है।


 (अरविन्द कुमार शुक्ला)
 पररजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/923/

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्था./चेकर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री बाबूलाल कुशवाहा, सहायक ग्रेड-एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यकूँ कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 (सतीश चन्द्र राय)
 रजिस्ट्रार (प्रशासन)
 पर

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/924 /

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

श्रीमती रीता श्रीवास्तव, भूत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रिसीष्ट शाखा में कार्यरत रहते हुये बाल कल्याण समिति, विदिशा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त न्यायपीठ, विदिशा का पत्र क. बाकस/2018, विदिशा दिनांक 14.08.2018 कन्साइमेंट नंबर ईआई043450470आईएन जो कि रिसीष्ट शाखा में दिनांक 20.08.2018 को प्राप्त हुआ था, के लिफाफे पर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने के उद्देश्य से रिसीष्ट शाखा में प्राप्त होने की सील दिनांक 18.09.2018 लगाने की गभीर त्रुटि करने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक डी/7349, जबलपुर दिनांक 19.12.2018 के संबंध में प्रस्तुत जवाब दिनांक 24.12.2018 पूर्णतः असंतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप अभिलेखनीय चेतावनी (Recordable) दी जाती है।



(अरविन्द कुमार शुक्ला)

Per रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

पृष्ठांकन क्रमांक C/925 /
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/रिसीष्ट/अभिलेखागार (प्रशा.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सेवा अभिलेख/गोपनीय चरित्रावली में भविष्य के संदर्भ में रखे जाने हेतु,
7. श्रीमती रीता श्रीवास्तव, भूत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Per

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C1926 /

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

कु. रूपा पारस खेड़ा, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रिसीष्ट शाखा में कार्यरत रहते हुये बाल कल्याण समिति, विदिशा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त न्यायपीठ, विदिशा का पत्र क. बाकस/2018, विदिशा दिनांक 14.08.2018 कन्साइमेंट नंबर इआई043450470आईएन जो कि रिसीष्ट शाखा में दिनांक 20.08.2018 को प्राप्त हुआ था, एवं अत्यंत आवश्यक प्रकृति का था, को तत्काल ही संबंधित अधिकारी को प्रेषित करने में असफल रहने की गंभीर त्रुटि करने तथा रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस क्रमांक डी/7348, जबलपुर दिनांक 19.12.2018 के संबंध में प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.12.2018 पूर्णतः असंतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप अभिलेखनीय चेतावनी (Recordable) दी जाती है।


 18 अगस्त
 (अरविन्द कुमार शुक्ला)

Par रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 21/02/2019

पृष्ठांकन क्रमांक C1927 /
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार,उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/रिसीष्ट/अभिलेखागार (प्रशा.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सेवा अभिलेख/गोपनीय चरित्रावली में भविष्य के संदर्भ में रखे जाने हेतु
7. कु. रूपा पारस खेड़ा, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


 (सतीश चन्द्र राय)
 रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Par